भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2485

10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय:- कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

2485. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी :

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कृषि और संबद्ध उद्योगों के भीतर एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न स्टार्टअप को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा किसानों को डिजिटल प्रौद्योगिकी और नवीन कृषि तकनीकों को अपनाने में सहायता प्रदान करन के लिए क्या उपाय शुरू किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी प्रौद्योगिकियों के संबंध में अनुसंधान किया है जिनका किसानों के लिए व्यावहारिक उपयोग है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) किसानों को प्रौद्योगिकीय और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए लागू सरकारी योजनाओं अथवा नीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत "नवाचार एवं कृषि उद्यमिता विकास" कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य स्टार्ट-अप को पोषित करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके नवाचार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 5 नॉलेज पार्टनर (केपी) और 24 आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर (आर-एबीआई) प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और स्टार्ट-अप को इनक्यूबेट करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में उद्यमियों/स्टार्ट-अप को उनके उत्पादों, सेवाओं, व्यापार प्लेटफार्मों आदि को लॉन्च करने और स्केलिंग-अप करने के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु आइडिया/प्री सीड स्टेज पर 5 लाख रुपये तक और सीड स्टेज पर 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने 3 सितंबर, 2024 को कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए नैबवेंचर्स लिमिटेड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से स्टार्ट-अप को सहायता प्रदान करने के लिए एग्रीश्योर योजना की शुरूआत की है। यह पहल, श्रेणी II सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष है, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अभिनव, प्रौद्योगिकी संचालित, उच्च

जोखिम, उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा देगा। इस कोष की कुल राशि 750 करोड़ रुपये (भारत सरकार और नाबार्ड प्रत्येक के द्वारा 250 करोड़ रुपये का योगदान) है और शेष 250 करोड़ रुपये बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य निजी संस्थाओं से जुटाए जाएंगे।

राष्ट्रीय कृषि नवाचार कोष, आईसीएआर की गैर-योजना का एक हिस्सा है, जो आईसीएआर नेटवर्क संस्थानों में अपने 50 कृषि-व्यवसाय इनक्यूबेशन केंद्रों (एबीआईसी) के माध्यम से कृषि और इसके संबद्ध क्षेत्र में व्यवसायिक स्टार्ट-अप के इकोसिस्टम को बढ़ावा देता है। ये एबीआईसी, प्रौद्योगिकी और कौशल उन्नयन प्रदान करते हैं, जिससे उद्यमियों/स्टार्ट-अप्स को व्यवहार्य उद्यमों और सतत स्टार्ट-अप व्यवसाय संचालन को बढ़ावा मिलता है। इन स्टार्ट-अप्स को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है, केवल तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(ख): "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम के तहत वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक विभिन्न केपी और आर-एबीआई के माध्यम से 1708 कृषि स्टार्ट-अप्स को किस्तों में 122.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता निम्नानुसार रिलीज की गई है:

वित्तीय वर्ष	**सहायता प्राप्त स्टार्ट-अप्स की कुल संख्या**	**स्टार्ट-अप्स को रिलीज किया गया कुल फंड (किस्तों में) करोड़ रुपये में**
2019-20	58	3.13
2020-21	588	27.43
2021-22	277	20.34
2022-23	253	24.35
2023-24	532	47.25
कुल	**1708**	**122.50**

(ग): भारत सरकार ने विभिन्न डिजिटल पहलें, जैसे एग्रीस्टैक, किसान रजिस्ट्री, फसल बोआई रजिस्ट्री, कृषि मैपर एप्लीकेशन, किसान-ई-मित्र आदि के माध्यम से प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई हैं। कृषि-स्टार्ट-अप को, किसानो समुदायों में उनकी नवीन तकनीकों/उत्पादों को अपनाने के लिए क्रेटिंग ड्राईव से किसानों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(घ) एवं (ड़): कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), विभिन्न राज्यों में नैशनल ऐग्रिकल्चर रिसर्च सिस्टम्स द्वारा विकसित नवीन कृषि तकनीकों को अपनाने में किसानों की सहायता करते हैं। इन गतिविधियों में, विभिन्न कृषि प्रणालियों के तहत प्रौद्योगिकी की लोकेशन विशिष्टता की पहचान करने के लिए ऑन-फार्म परीक्षण; किसानों के खेतों पर बेहतर कृषि प्रौद्योगिकियों की उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए फ्रन्टलाइन प्रदर्शन; गुणवत्ता वाले बीजों, रोपण सामग्री और अन्य प्रौद्योगिकी इनपुट के ज्ञान और उत्पादन के लिए किसानों की क्षमता में विकास शामिल है। कृषि नवाचारों और प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए, केवीके द्वारा बड़ी संख्या में विस्तार गतिविधियाँ शुरू की जाती हैं, जो किसानों को तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करती हैं।

*****